

आदेश न इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 109/2021 (धारा 14 सिक्योरिटाइजेशन)

एस आर जी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 321, एस. एम. लोढा कॉम्प्लेक्स,
शास्त्री सर्कल, उदयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री प्रदीप कुमार टांक पुत्र श्री रमेश चंद टांक, जाति टांक,
निवासी 69, च्यासों की गली, गोनेर तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
एवं 108, भीणों का मोहल्ला, ग्राम गोनेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. श्रीमती मंजू वर्मा पत्नी प्रदीप कुमार टांक, जाति वर्मा निवासी 928/के-2, गिट्टा कुवा की गली,
लोहाखान, जिला अजमेर।
3. टोनी वर्मा पुत्र श्री प्रदीप कुमार टांक, जाति वर्मा, निवासी 108, भीणों का मोहल्ला, ग्राम गोनेर,
तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
4. श्री रामजीलाल सेन पुत्र श्री रेवडमल सेन, निवासी 2 सिरोली, दांतली, तहसील सांगानेर, जिला
जयपुर।
5. श्री शुभम वर्मा पुत्र श्री सुरेश वर्मा, जाति वर्मा, निवासी 441, डी डी ए कालोनी, तहसील सांगानेर,
जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



This application under section 14 of the securitisation and
reconstruction of financial assets and enforcement of security
Interest Act, 2002.

उपस्थित—श्री नरेश शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 04.10.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक
24.09.2018 को पुनर्मुर्तान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री प्रदीप कुमार टांक पुत्र
श्री रमेश चंद टांक के स्वामित्व की सम्पत्ति भू-खण्ड संख्या 108, गणेश कालोनी, नालियों का
मोहल्ला, गोनेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर क्षेत्रफल 140 वर्गगज को बंधक रख कर
08,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय
संस्था को ऋण भुगतान करने में असाफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत
अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 27.08.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये
जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The
securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security

जिस्ट्रेट
जयपुर

interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को को गौर से सुना गया । पत्रावली एवं प्रस्तुत दरतावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से क्रम संख्या 34 पर सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 08,00,000/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 9,11,100/-रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 27.08.2020 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र रवीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री प्रदीप कुमार टाक पुत्र श्री रमेश चंद टांक के स्वामित्व की सम्पत्ति भू-खण्ड संख्या 108, गणेश कालोनी, मालियों को मोहन्ला, गोनैर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर क्षेत्रफल 140 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें।



8. आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तार हो।

9. आदेश आज दिनांक 04.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(Handwritten signature)
4/10/21
(अन्तर सिंह नेहरो)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर